उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी {संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर भर्ती, वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें} नियमावली, 2024

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम **"उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी {संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर भर्ती, वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें} नियमावली, 2024"** होगा।

(2) यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. परिभाषाएंः–

(1) जब तक कि संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली मे–

(क) **'अकादमी'** से उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला नैनीताल अभिप्रेत है।

(ख) **'भारत का नागरिक'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत के संविधान के भाग–प्प के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।

(ग) **'निदेशक'** से निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी अभिप्रेत है।

(घ) **'शासी परिषद'** से उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी की शासी परिषद अभिप्रेत है।

(ड़) **'सरकार'** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(च) **'राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड वेतन के अधिकारी'** से उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू वेतन स्तर–12 (7 वें वेतन आयोग के अनुसार) में राज्य सरकार के अधिकारी अभिप्रेत है।

(छ) **'मुख्य संरक्षक'** से मुख्य संरक्षक, अकादमी/मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय अभिप्रेत है।

(ज) **'पद'** से उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में संयुक्त निदेशक (शोध) का पद अभिप्रेत है।

(झ) **'नियमावली'** से "उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी {संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर भर्ती, वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें} नियमावली, 2024" अभिप्रेत है।

(ञ) **'चयन समिति'** से इस नियमावली के अन्तर्गत नियम–5 के तहत परिभाषित समिति अभिप्रेत है।

3. भर्ती के लिए अर्हता:–

संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी तभी योग्य होगा जबकि वह भारत का नागरिक हो और विधि विभाग का प्रतिष्ठित शिक्षाविद हो, जिसके पास न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो तथा विधि के सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव तथा विधि सम्बन्धी विषयों पर जिसके शोध लेख प्रकाशित हुए हों।

4. पद की प्रकृति:–

संयुक्त निदेशक (शोध) का पद वाह्य संवर्ग का पद होगा और केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित तथा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के सेवारत नियमित शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा।

5. भर्ती की प्रकिया:–

(1) पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन अकादमी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त, कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों (एक हिंदी और एक अंग्रेजी) में खुले विज्ञापन प्रकाशित कर किया जायेगा।

(2) संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर भर्ती चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से की जाएगी, जो निम्नानुसार होगी–

i- माननीय न्यायमूर्ति प्रभारी शिक्षा, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय – अध्यक्ष
ii- महानिबन्धक अथवा उनके द्वारा नामित अन्य कोई निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय – सदस्य
iii- निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी –सदस्य सचिव

6. सेवा की अवधि:–

चयनित व्यक्ति संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर, पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसे नियम–5 के उप–नियम (2) में वर्णित चयन समिति द्वारा दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद संयुक्त निदेशक (शोध) का पद धारण नहीं करेगा।

7. कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वः–

संयुक्त निदेशक (शोध) के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे: –

(क) विधिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के रणनीतिक बिन्दुओं पर निदेशक को परामर्श देना;

(ख) अनुसंधान शाखा से सम्बद्ध कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और प्रबंधन करना;

(ग) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रसारित होने वाले विधिक अनुसंधान और अध्ययन सामग्री के काम के मानकों, नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करना और बनाए रखना;

(घ) वर्तमान और भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना और वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निदेशक और संकाय के अन्य सदस्यों के साथ काम करना;

(ड़) निदेशक द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

8. निरर्हताएंः–

संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर नियुक्त व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा, यदि वह :–

(क) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तथा जिसे कारावास की सजा सुनाई गई हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल हो, अथवा

(ख) एक अनुन्मोचित दिवालिया हो, अथवा

(ग) विकृत चित्त हो एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, या

(घ) उसके ऐसे वित्तीय या अन्य हित हों, जो मुख्य संरक्षक के मतानुसार, संयुक्त निदेशक (शोध) के रूप में उसके कार्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

9. त्यागपत्र और सेवा समाप्तिः–

(1) संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर कार्यरत व्यक्ति, यदि वह पद से त्यागपत्र देना चाहता है, मुख्य संरक्षक को लिखित में तीन माह का नोटिस देगा।

परन्तु यह कि संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर कार्यरत व्यक्ति नोटिस की अवधि समाप्त होने तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त

व्यक्ति द्वारा पदभार ग्रहण करने तक अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा, जब तक कि मुख्य संरक्षक द्वारा इस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व ही उसे पद त्यागने की अनुमति नहीं दी गयी हो।

(2) संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर कार्यरत ऐसे व्यक्ति को मुख्य संरक्षक, उजाला पद से हटा सकते हैं, जिसे–

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा

(ख) एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल हो, अथवा

(ग) संयुक्त निदेशक (शोध) के पद के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; अथवा

(घ) उसके द्वारा ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया गया हो, जिससे उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो अथवा

(ड) उसके द्वारा अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया गया हो कि पद पर बने रहने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(च) कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर।

10. मुख्यालय/तैनाती का स्थानः–

संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर कार्यरत व्यक्ति का मुख्यालय उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी होगा।

11. वेतन, भत्ते, इत्यादिः–

संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर नियुक्त व्यक्ति को सातवें वेतन आयोग के अनुसार जे0–3 के वेतनमान ₹ 111000–163030/– और ऐसे भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो समकक्ष शैक्षणिक ग्रेड वेतन में विधि के सहायक प्रोफेसर को अनुमन्य हैं।

परन्तु यह कि संयुक्त निदेशक (शोध) के पद के वेतन, भत्तों तथा सेवा के अन्य नियम और शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके अहित के लिए परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि वेतन और अन्य भत्ते उसके मूल विभाग से कम नहीं होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि संयुक्त निदेशक (शोध) के रूप में नियुक्त व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा हो, अथवा पेंशन, ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्य निधि या नियोक्ता के योगदान के माध्यम से कोई सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त करने का हकदार हो गया हो, तो ऐसे संयुक्त निदेशक (शोध) के वेतन में से पेंशन की सकल धनराशि या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्तिक लाभ, यदि कोई हो (ग्रेच्युटी के समकक्ष पेंशन को छोड़कर), घटा दिया जाएगा।

12. अवकाश और अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी:–

संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर नियुक्त व्यक्ति, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, असाधारण अवकाश, अवकाश का संराशिकरण, आकस्मिक अवकाश इत्यादि के संबंध में, राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड वेतन के अधिकारी के लिए लागू अवकाश का हकदार होगा।

संयुक्त निदेशक (शोध) का अवकाश स्वीकृत करने के लिए न्यायमूर्ति प्रभारी शिक्षा स्वीकर्ता प्राधिकारी होंगे।

परंतु यह कि आकस्मिक अवकाश और मुख्यालय से बाहर जाने का अवकाश अकादमी के निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

13. यात्रा भत्ता:–

संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर तैनात व्यक्ति, भारत के भीतर आधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और इसी तरह के अन्य भत्तों के लिए उसी दर पर हकदार होगा, जो राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड वेतन के अधिकारी को अनुमन्य होते हैं।

14. अवकाश यात्रा सुविधा:–

संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर कार्यरत व्यक्ति, राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड वेतन के अधिकारी को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के लिए पात्र होगा।

15. चिकित्सा उपचार सुविधा:–

संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर कार्यरत व्यक्ति, राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड वेतन के अधिकारी को अनुमन्य चिकित्सा उपचार और चिकित्सालय सुविधाओं का हकदार होगा।

16. आवास:–

(1) संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर तैनात व्यक्ति उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी परिसर के भीतर आवासीय सुविधा, यदि उपलब्ध हो, उपलब्ध कराये जाने वाले आवास के उपयोग का अपने कार्यकाल या विस्तारित कार्यकाल के एक महीने के तुरंत बाद तक, राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड वेतन में कार्यरत अधिकारी द्वारा देय शुल्क के भुगतान पर उपयोग का अधिकारी होगा।

(2) यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है, तो संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर तैनात व्यक्ति को राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड वेतन के अधिकारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता आहरित करने का विकल्प होगा।

17. परिवहन सुविधा:–

संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर कार्यरत व्यक्ति राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड वेतन के अधिकारी को अनुमन्य परिवहन सुविधा हेतु पात्र होगा।

18. दूरभाष सुविधा:–

संयुक्त निदेशक (शोध) के पद पर कार्यरत व्यक्ति राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड वेतन के अधिकारी को अनुमन्य दूरभाष सुविधाओं हेतु पात्र होगा।

19. अन्य सेवा शर्तें:–

जिन प्रकरणों के लिए इस नियमावली में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उनके संबंध में संयुक्त निदेशक (शोध) के पद की सेवा शर्तें वही होंगी जो तत्समय राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड वेतन के अधिकारी पर लागू होती हैं।

20. शिथिलीकरण की शक्तियाँ:–

अकादमी के मुख्य संरक्षक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकते हैं।